जनसत्ता

एक और कदम

महाबलीपुरम में शुक्रवार शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनौपचारिक बातचीत ने दोनों देशों के रिश्तों में एक और आयाम जोड़ दिया है। यह दोस्ती की नई इबारत है। पिछले डेढ़ साल में यह दूसरी अनौपचारिक मुलाकात इस बात का प्रमाण है कि भारत और चीन रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ा चुके हैं। जिनपिंग और मोदी की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत के अपने एक और पड़ोसी पाकिस्तान के साथ रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। ऐसे में इसके कूटनीतिक मायने भी महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। इस मुलाकात का बड़ा मकसद रिश्तों को मौजूदा स्तर से और बेहतर बनाना है। दोनों देशों की कोशिश रही है कि पाकिस्तान की वजह से रिश्तों में कहीं कोई दरार न आए। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में तभी बढ़ा जा सकता है जब रणनीतिक संतुलन भी बना रहे। ऐसे में अनौपचारिक मुलाकातें और बैठकें ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं, जिनमें निर्धारित एजेंडे से अलग हट कर भी गिले-शिकवे दूर किए जा सकते हैं। इस तरह की मुलाकातों से जटिल से जटिल मुद्दों को हल करने का रास्ता ज्यादा आसानी से बन सकता है। इस दृष्टि से महाबलीपुरम में भारत और चीन की दोस्ती का नया कदम नई उम्मीदें लिए हुए है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने और राज्य को दो हिस्सों में बांट कर जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के भारत के फैसले से चीन भी खुश नहीं है। उसकी पीड़ा लद्दाख को लेकर ज्यादा इसलिए है कि लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन की विशालकाय सीमा है। चीन इस बात को भी अच्छी तरह समझ रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत का रुख एकदम स्पष्ट है और इस पर वह किसी से कोई समझौता नहीं करेगा या कश्मीर पर वार्ता को लेकर किसी तीसरे पक्ष को बीच में नहीं आने देगा। इसलिए अंदर से चीन भारत के कठोर रुख से बेचैन है। चीन इस हकीकत को भी भलीभांति समझ रहा है कि इस तरह के मुद्दों को लेकर तनाव बनाए रखना न दोनों देशों के हित में है, न एशियाई शांति के लिए यह अच्छा है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा रिश्तों के नए दौर का संदेश देती है।

चीन और भारत के रिश्ते कोई सौ-दो सौ साल के नहीं, बल्कि सदियों पुराने हैं। हजारों सालों से दोनों देशों के बीच व्यापार चलता रहा है। चीनी लोग भारत आकर यहां की संस्कृति को समझते रहे हैं। बौद्ध धर्म तो फैला ही भारत से है। कारोबारी नजरिए से देखें तो आज भी चीन के लिए भारत बड़ा बाजार है। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर टकराव दोनों देशों के हितों में नहीं है। जहां तक भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जैसे कुछ जटिल मुद्दे हैं तो उन्हें बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। भारत हमेशा से ही शांति और वार्ता का पक्षधर रहा है। लेकिन अतंकवाद के मुद्दे पर चीन को अपने रुख में बदलाव करना होगा। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में आतंकवाद फैलाता रहा है और बड़े आतंकी हमलों से भारत को गहरे जख्म दिए हैं। ऐसे में भारत चीन से यही उम्मीद करता है कि वह आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ न दे। महाबलीपुरम की मुलाकात से दोनों देशों के बीच पुख्ता समझ बननी चाहिए, जो विवादों को हल करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सके।

अनियमितता के कोष

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया है कि वित्तीय अनियमितता करने वाले सहकारी बैंकों के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएंगे। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी शामिल होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो संसद के शीतकालीन सत्र में जरूरी विधायी संशोधन किए जाएंगे। दरअसल, पंजाब एवं महाराष्ट्र बैंक यानी पीएमसी नामक सहकारी बैंक में वित्तीय गड़बड़ियां पाई जाने और उस पर पाबंदी लगाई जाने के बाद लोगों में अपने धन की सुरक्षा को लेकर जो आशंकाएं पैदा हो गई हैं, उससे सहकारी संस्थाओं की साख को गहरा धक्का पहुंचा है। पीएमसी के खातों और उसके कारोबार की छानबीन के बाद मिली गड़बड़ियों के मद्देनजर सरकार के लिए भी ये संस्थाएं चिंता का सबब बन गई हैं। पीएमसी की महाराष्ट्र में करीब एक सौ बीस शाखाएं थीं। दूसरे राज्यों में भी उसका कारोबार फैला हुआ था। वह तेजी से उभरता हुआ सहकारी बैंक था। बताया जा रहा है कि वह बैंकिंग की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए लाइसेंस पाने की फिराक में था। इसलिए उसने अपने खाता संबंधी ब्योरों में अपने कारोबारी मुनाफे को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया था। जबकि उसने जो कर्ज बांटे थे, उसमें से अधिकतर डूब चुके थे। इसी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने उस पर नकेल कसने का फैसला किया।

हालांकि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पीएमसी के ग्राहकों का पैसा डूबने न पाए, पर चिंता इस बात की है कि ऐसे और कितने बैंकों की अनियमितता की परतें उघड़ेंगी। सहकारी संस्थाओं के गठन और उनके जरिए लेनदेन को बढ़ावा देने का नियम इस मकसद से बना था कि लघु बचत करने, दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले वित्तीय रूप से कमजोर किसानों, बुनकरों, हस्तशिल्प आदि के काम में लगे लोगों को आसान शर्तों पर वित्तीय मदद पहुंचाई और उन्हें बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मगर सहकारी संस्थाओं के गठन के शुरुआती दिनों में ही यह पोल खुल गई थी कि वे धीरे-धीरे भ्रष्टाचार के अड्डे बनते गए हैं। किसानों, बुनकरों, छोटे उद्यमियों आदि को कम ब्याज दरों पर दिए जाने वाले कर्ज का लाभ ज्यादातर बड़े कारोबारी उठाने लगे और फिर वह धन बट्टेखाते में जाता रहा। जाहिर है, उसमें खाताधारकों और सहकारी बैंकों या समितियों के अधिकारियों की साठगांठ थी। इस तरह कई सहकारी समितियां बंद हो गईं। कई मामलों में काले धन को सफेद करने का जरिया भी ये संस्थाएं बनती रही हैं। नोटबंदी के समय के खुलासे इसके हाल के उदाहरण हैं। लिहाजा, सहकारी संस्थाओं पर कड़ी निगरानी की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है।

अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहकारी संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कारगर भूमिका मानी जाती है। देश के बहुत सारे लोग, जो बड़े बैंकों से नहीं जुड़े होते या फिर बैंकों के पास बहुत छोटी रकम की वित्तीय सहायता जैसे खाद, बीज, सूत, मवेशी आदि खरीदने के लिए कर्ज देने का प्रावधान नहीं होता, वे इन सहकारी या फिर गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की मदद से अपने कारोबार को आगे बढ़ाते रहे हैं। पर ये कुछ खिलाड़ी कारोबारियों या कालाधन जमा करने वालों के हाथ की कठपुतली बन जाएं और भारी पैमाने पर अनियमितता करने लगें, तो इन्हें गठित करने का मकसद ही कहीं खो जाता है। इसलिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय की सहकारी संस्थाओं पर कड़ी नजर रखने और अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का इरादा सराहनीय है।

कल्पमेधा

मनुष्य के कर्म उसके विचारों की
सबसे बड़ी परिभाषा हैं।
-लांगफेलो

घटते वन, बिगड़ता पर्यावरण

अभिजीत मोहन

निश्चित रूप से विकास के लिए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का दोहन आवश्यक है। लेकिन इसकी सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए, जिसका कि पालन नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर जंगलों को उजाड़ने का ही नतीजा है कि आज मनुष्य को बढ़ते वैश्विक तापमान, ओजोन परत के क्षरण, भूकम्प, भारी वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है।

यह राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई की आरे कालोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इस कालोनी में मेट्रो कारशेड के लिए ढाई हजार से ज्यादा पेड़ काटे जाने थे और वहां के निवासी और पर्यावरण संरक्षक इसका विरोध कर रहे थे। प्रशासन ने विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तब मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा। हालांकि तब तक दो हजार से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके थे। सरकार का तर्क है कि छोटे हिस्से से पेड़ काटे गए हैं। सरकार ने यह दलील भी दी कि इन पेड़ों को काटने से पहले तेईस हजार आठ सौ छियालीस पेड़ लगाए जा चुके हैं और पच्चीस हजार पौधे वृक्षारोपण के लिए बांटे गए हैं। लेकिन अदालत ने दो टूक कहा कि सवाल छोटे हिस्से का नहीं, बल्कि यह कानूनन गलत है तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

सर्वोच्च अदालत के पूर्व आदेश के अनुसार राज्यों को किसी क्षेत्र को जंगल के रुप में अधिसूचित करना आवश्यक है, लेकिन महराष्ट्र सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। पर्यावरण संरक्षकों और विशेषज्ञों की मानें तो आरे को 'अवर्गीकृत जंगल' के रुप में समझा जाता था और वहां पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में पेड़ों की कटाई अवैध है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक यह अवर्गीकृत जंगल नहीं है और न ही यह संवेदनशील क्षेत्र है। सरकार ने पेड़ों की कटाई तब शुरू की थी जब बबई हाई कोर्ट ने आरे कालोनी को वन क्षेत्र घोषित करने और मुंबई नगर निगम की मेट्रो कारशेड के लिए पेड़ों की कटाई की इजाजत देने वाली अधिसूचना रद्द करने की मांग ठुकरा दी थी।

आज जिस तरह विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और वनों को उजाड़ा जा रहा है, उससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। पिछले साल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दावा किया था कि अगर जंगलों को बचाने की पहल तेज नहीं हुई तो 2025 तक देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ पूर्वोत्तर के छह राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का वन क्षेत्र खत्म हो जाएगा, जो आकार में मॉरीशस के कुल क्षेत्रफल के बराबर बैठता है। इन राज्यों में 2005 से 2013 के बीच वन क्षेत्र में 0.3 प्रतिशत की दर से कमी दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों ने इन्हीं राज्यों के घटते वन क्षेत्र को 2025 के वन क्षेत्र के अनुमान के लिए आधार बनाया है और उनका यह शोध पिछले दिनों 'अर्थ सिस्टम साइंस' नामक जर्नल में छपा है। चूंकि यह शोध हैदराबाद स्थित इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और तिरुवनंतपुरम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने किया है, इसलिए शोध की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों का दावा है कि एक सौ तैंतीस साल में चालीस प्रतिशत वन क्षेत्र कम हो चुका है। वर्ष 1880 में देश में 10.42 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल होने का अनुमान लगाया गया था, जो देश के 37.1 प्रतिशत भौगोलिक हिस्से को दर्शाता था। लेकिन विकास के नाम पर वनों की अंधाधुंध कटाई की वजह से 1880 से 2013 के बीच इसमें चालीस प्रतिशत की कमी आई है। गंभीर चेतावनी तो यह है कि साल 2025 तक इसमें और कमी आने की आशंका है।

वन क्षेत्र में आ रही कमी के बारे में अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर पर लैंड चेंज मॉडलर सॉफ्टवेयर पर प्राचीन भारत के वन क्षेत्र का मॉडल तैयार किया है। इनमें उन इलाकों का पर्यवेक्षण किया गया है, जहां वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अधिकांश वन क्षेत्र की भूमि को लीज पर लेने और बड़े स्तर पर वन क्षेत्रों को कृषि के लिए उपयोग में लाने के कारण वन क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है। तथ्य यह भी कि अंधाधुंध विकास के नाम पर मानव प्रति वर्ष सात करोड़ हेक्टेयर वनों का विनाश कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले सैकड़ों सालों में हमने प्रकृति की एक तिहाई से अधिक प्रजातियां नष्ट कर डाली हैं। जंगली जीवों की संख्या में भी पचास प्रतिशत की कमी आई है।

वन किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं, जो वहां की जलवायु, भूमि की बनावट, वर्षा, जनसंख्या

के घनत्व, कृषि और उद्योग आदि को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। भारत प्राकृतिक वन संपदा की दृष्टि से एक संपन्न देश रहा है। भारत में पौधों और वृक्षों की सैंतालीस हजार प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन वनों की कटाई के कारण प्रजातियां नष्ट हो रही हैं और जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब वनों को बचाने के लिए 1950 से लगातार हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसके जरिए खेतों की मेड़ों, नदियों, नहरों और सड़कों के किनारे तथा बेकार भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है। वन-विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने 1952 में ही वन-नीति बना ली थी और वन विकास के लिए नई-नई घोषणाओं के साथ वनों का क्षेत्र बाईस प्रतिशत से बढ़ा कर तैंतीस प्रतिशत करने के संकल्प व्यक्त किया था। इसके अलावा वनों पर सरकारी नियंत्रण रखने और वृक्षों की हरित पट्टी विकसित करने के कार्यक्रम भी तय किए। यही नहीं, वनों को बचाने के लिए 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना भी की गई थी। इस आयोग का कार्य वनों से संबंधित आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करना और उन्हें प्रकाशित करना है। लेकिन विडंबना है कि इस कवायद के बावजूद वनों का क्षेत्रफल बढ़ने के बजाए उसमें लगातार घटता ही जा रहा है। स्थिति यह है कि आज देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के महज 20.64 प्रतिशत हिस्से पर ही वन क्षेत्र रह गया है। अगर समय रहते वनों को संरक्षित नहीं किया गया तो न केवल लकड़ी, उद्योगों के लिए कच्चा माल, पशुओं के लिए चारा, औषधियां, सुगंधित तेल का संकट उत्पन होगा, बल्कि पर्यावरण भी तेजी से प्रदूषित होगा।

वैज्ञानिकों का कहना है कि वनों के विनाश से वातावरण जहरीला होता जा रहा है। प्रतिवर्ष दो अरब टन अतिरिक्त कार्बन-डाइआक्साइड वायुमंडल में घुल-मिल रही है। इससे जीवन का सुरक्षा कवच मानी जाने वाली ओजोन परत को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वायुमंडल में छत्तीस लाख टन कार्बन डाइआक्साइड की वृद्धि हो चुकी है और चौबीस लाख टन आक्सीजन समाप्त हो चुकी है। अगर यही स्थिति रही तो 2050 तक पृथ्वी के तापक्रम में लगभग चार डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। ओजोन परत को होने वाले नुकसान से कुछ खास किस्म के अत्यंत अल्पजीवी तत्वों (वीएसएलएस) की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरनाक हैं। इन खास किस्म के अत्यंत अल्पजीवी तत्वों की ओजोन को नुकसान पहुंचाने में भागीदारी नब्बे फीसद है।

निश्चित रूप से विकास के लिए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का दोहन आवश्यक है। लेकिन इसकी सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए, जिसका कि पालन नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर जंगलों को उजाड़ने का ही नतीजा है कि आज मनुष्य को बढ़ते वैश्विक तापमान, ओजोन परत के क्षरण, भूकम्प, भारी वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे और जंगलों को संवारने एवं संरक्षित करने की चेष्टा नहीं की गई तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन असंभव हो जाएगा।

स्मृतियों में गांव

घनश्याम कुमार देवांश

मिट्टी की एक खुशबू होती है, इसका पता तब चला, जब सब कुछ छोड़ कर मैं गांव से शहर चला आया। या फिर कहा जाए कि माता-पिता द्वारा शहर में ले आया गया। शहर, जहां चारों ओर कंक्रीट ही कंक्रीट दिखता है, मिट्टी के लिए थोड़ी बहुत जगह या तो बाग-बगीचों और पार्कों में होती है या फिर घर के गमलों में। जाहिर है, शहर में आने के साथ ही मिट्टी की अपनी खुशबू से भी दूर हुआ। जब अपने गांव से दूर हो गया, तब उसकी मिट्टी की खुशबू और उसकी कीमत का अंदाजा हुआ। आज भी जब गांव जाता हूं तो लगता है, अपने घर आ गया हूं।

गांव मुझे बहुत पसंद हैं। हालांकि वहां रहने की अपनी बड़ी समस्याएं भी हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव मुझे आकर्षित करता है। अब तो हालात इतने खराब हैं कि गांव के लोग खुद भी वहां रहना नहीं चाहते। गांवों के सब पुराने काम लगभग खत्म हो चुके हैं, खासकर हाथ से किए जाने वाले काम। हालांकि सामाजिक दृष्टि से देखें तो समाज के अलग-अलग समूहों के पारंपरिक पेशे की अपनी समस्याएं थीं। लेकिन इससे इतर देखें तो खेती से लेकर घर-बाहर के अनेक ऐसे काम हैं, जिन्हें अब मशीनों के जरिए किया जाता है। इससे वहां आजीविका और पेट पालने के साधन पहले से बहुत कम हो गए हैं। खेती के खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि फसल तैयार होने पर आमतौर पर उसकी लागत का खर्चा भी नहीं निकल पाता। जो बैंक किसानों की मदद के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड और कर्ज की योजनाएं लेकर सामने आए थे, उन्होंने किसानों के जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार की ओर से कर्ज और दूसरी सुविधाओं की घोषणा का जमीनी सच यह है कि किसान कर्ज के चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं कि फिर उनका निकलना ही मुश्किल हो जाता है।

दुनिया मेरे आगे

ग्रामीण इलाकों में अशिक्षा और गरीबी आज भी भयानक स्तर तक कायम हैं। जब तक वहां के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल जाती, तब तक वहां के जीवन में कोई बदलाव आएगा, ऐसा सोचना शायद महज खामखयाली है। अशिक्षा के कारण ही गांवों में आज भी अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां जमी हुई हैं। महिलाओं की स्थिति कई स्तरों पर खराब है और ज्यादातर महिलाएं अब भी अपने-अपने घरों में बंद जीवन गुजारती हैं। उनके पास न सपने हैं, न उन सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान। सुविधाओं का जैसा भयानक अकाल गांवों में दिखाई देता है, वह आतंकित करने वाला है। हालत यह है कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल भी दयनीय हालत में दिखाई देते हैं। शायद ही कहीं डॉक्टर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते दिखाई देते हैं। ऐसे में इलाज की क्या स्थिति होगी, यह अंदाजा ही लगाया जा सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि डॉक्टरों के निजी क्लीनिकों और बाकी अस्पतालों में मरीजों के साथ बेहद संवेदनहीन तरीके से बर्ताव किया जाता है। अस्पतालों के दृश्य देख कर कई बार तो विश्वास नहीं होता कि यह आधुनिक युग का कोई अस्पताल है।

आम बातचीत में 'गंवार' शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है। खासतौर पर पढ़े-लिखे और खुद को समझदार मानने वाले लोग आमतौर पर पर इसका प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि यह शब्द संभवतः गांव से बना और प्रचलन में आया होगा। शहर के लोग इस शब्द का इस्तेमाल मूर्ख, असभ्य और अनपढ़ आदमी के अर्थ में करते हैं। इससे हम बड़ी सरलता से यह अनुमान लगा सकते हैं कि गांव के लोगों को लेकर शहर के लोग क्या सोचते हैं! यों शहरों में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन गांवों से बेहतर है। शहर में लोग अपने रोजगार का प्रबंध कर लेते हैं। भोजन-पानी का जोड़-जुगाड़ हो जाता है। मनुष्य वहां मनुष्यों की भीड़ में रह कर खुद को सुरक्षित महसूस करता है।

लेकिन शहर भी इन दिनों बुरी तरह से अव्यवस्था के शिकार हैं। इधर-उधर बने बेतरतीब घर-मकान, बस्तियां शहर में जीवन का एक कठोर चेहरा दिखाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो शहर कृत्रिम हैं, जबकि गांव सहजता से बसते हैं। शहर को अगर ठीक से योजना बना कर न बसाया जाए तो सदियों तक उसके नफा-नुकसान चलते रहते हैं। इसलिए अच्छा हो कि उन्हें बेहतर योजना बना कर बसाया जाए। लोगों तक पीने का पानी कैसे पहुंचेगा, एक इलाके में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, रोजगार के क्या साधन होंगे, कितनी दुकानें होंगी, यातायात की क्या व्यवस्था होगी, कानून, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं कैसी होंगी- ऐसी बहुत सारी बातों का खयाल सरकार को रखना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो शहर और गांव, आज दोनों के लिए ही बहुत अच्छी योजनाओं की जरूरत है, जिसमें सभी सुविधाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। सिर्फ विकास के नाम पर गांव को बदल कर शहर नहीं बना देना चाहिए!

सूचनाएं और उम्मीदें

स्विट्जरलैंड ने हाल में कालेधन की सूचना के स्वतः आदान-प्रदान की नई व्यवस्था के तहत भारत के साथ-साथ विश्व के पचहत्तर अन्य देशों को भी उनके नागरिकों के स्विस बैंक खातों की सूचना प्रदान की है। पहली बार भारत सरकार को स्विस बैंक में खाता रखने वाले अपने नागरिकों के बारे में इस तरह की सूचनाएं मिली हैं। स्विस सरकार ने पिछले साल भी इस तरह की सूचना छत्तीस देशों के साथ साझा की थी।

यह जरूरी नहीं है की जो सूचनाएं भारत सरकार को स्विट्जरलैंड से मिली हैं, उसमें सभी अवैध खातों की जानकारी हो। उसमें कुछ खाताधारक ऐसे भी होंगे जो वैध तरीके से अपने व्यवसाय या अपनी शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड से जुड़ाव रखते होंगे। भारत सरकार को अब द्वितीय चरण में उन खाताधारकों के भी बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास करना होगा जिनके खाते अब बंद हो चुके हैं। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में भारतीयों का कुल जमा सात हजार करोड़ रुपया था। सूचनाओं का स्वतः आदान-प्रदान एक औपचारिक प्रक्रिया है। इसलिए हमारे पास ज्यादा सूचनाएं आएंगी तो इससे निश्चित तौर पर कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। पहले सिर्फ आपराधिक व्यक्तियों की सूचनाएं ही साझा होती थीं। इस माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को हम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके आधार पर कार्रवाई जरूर हो सकती है। सवाल यह है कि जो सूचनाएं हमें स्विस बैंक से मिली हैं, वे हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं? क्योंकि किसी भी खाता धारक का नाम और उसका स्थायी पता किसी भी अन्य देश को नहीं सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त बैंक बैलेंस की जानकारी भी इस प्रकार के सूचनाओं के अंतर्गत नहीं दी जाती है। इसलिए यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती होगी। इस प्रकार की सूचनाएं एक विशेष कोडिंग प्रक्रिया के तहत उपलब्ध होती हैं, जो मात्र इशारा कर सकती हैं, और उस को अंजाम तक पहुंचाना जांच एजेंसियों का काम है।

स्विट्जरलैंड उन्हीं देशों को सूचनाएं उपलब्ध कराता है, जहां गोपनीयता के कानून परिपक्व हैं। भारत के लिए राहत की बात यह है कि भारतीयों द्वारा जो धन स्विस बैंक में जमा किया गया है, उसके आधार पर भारत विश्व में चौहत्तरवें नंबर पर आता है। लेकिन आशंका यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है विगत वर्षों में अवैध रूप से जमा रहे धन का प्रवाह किसी अन्य देश में हो गया हो। इसलिए जब तक कुछ साल पुरानी सूचनाएं भी न आ जाएं, कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।

● *कुलिंदर सिंह यादव, दिल्ली*

मौत के गड्ढे

मुंबई के ठाणे क्षेत्र में सड़क पर गड्ढे ने तेईस वर्षीय महिला डाक्टर की जान ले ली। उनकी स्कूटी गड्ढे में फंसने से पलट गई और पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। मुंबई हो या दिल्ली, कोलकाता हो या चेन्नई या अन्य कोई शहर, देश में गड्ढे मौत का बड़ा कारण बन गए हैं। खासतौर से हर साल बारिश के बाद सड़कें टूट जाती हैं और कदम-कदम पर गड्ढे तैयार हो जाते हैं। सड़क पर गड्ढों की मरम्मत और मेनहोल के रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। प्रशासन और सरकार पूरी तरह से अंखें मूंदे रहती हैं और लोग मरते रहते हैं। अफसोस इस बात का है कि प्रशासन के पास भारी-भरकम अमला होते हुए भी लापरवाही बरती जाती है और इसकी कीमत लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती है।

● *पूजा नेनावा साहू, पुणे*

नजीर पेश करे चीन

आपका संपादकीय 'वक्त का तकाजा' पढ़ा। भारत एक संप्रभु देश है और हमें अपनी संप्रभुता में कोई दखल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान के साथ भारत का कश्मीर विवाद और इससे जुड़ा सीमा विवाद है, उसी तरह से चीन के साथ भी हमारा सीमा विवाद है। चीन ने अरुणाचल को लेकर भी विवाद कर रखा है। चीन के अपने घर में हांगकांग का मसला चल रहा है। ऐसे में चीन का जोर भारत-पाकिस्तान के बीच में घुसने की बजाय भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने पर होना चाहिए।

चीन को चाहिए कि वह अपने दोस्त पाकिस्तान को आतंकवाद की राह छोड़ कर शांतिपूर्ण तरीके से भारत के साथ विवाद सुलझाने को कहे और खुद भारत-चीन के बीच के सभी मसले शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा कर पाकिस्तान और दुनिया के सामने एक नजीर पेश करे। वक्त का सच्चा तकाजा यही है।

● *बृजेश माथुर, गाजियाबाद*

हताशा के कदम

'मन के हारे हार है और मन के जीते जीत', यह लोकोक्ति बहुत कुछ बयान करती है। आज हम देख रहे हैं कि युवा कितनी जल्दी निराश हो जाते हैं। बोर्ड परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो, परीक्षा हमेशा हमारे धैर्य की परीक्षा भी लेती है। इन परीक्षाओं से डर कर जिस तरह से बच्चे निराशावादी होकर आत्महत्या या अन्य दुखद कदम उठा कर परिवार, समाज अथवा देश के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं, उस बारे में अब व्यापक स्तर विचार करने की आवश्यकता है। आज यह जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि आखिर किस स्तर पर कमी सबसे अधिक है जिसकी वजह हमारे बच्चे निराशा में घातक कदम उठा रहे हैं। यह बहुत साफ है कि केवल एक ही स्तर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आज देश में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें घोटाले न उजागर हुए हों। युवा मेहनत करके परीक्षा दें, बाद में उसे उसका फल न मिले तो वह निराशा में कोई भी कदम उठा सकता है। यही हाल स्कूल व कॉलेज की परीक्षाओं का है। अध्ययन और अध्यापन दोनों में बहुत बड़ी कमी की वजह से परिणाम अच्छे नहीं आ पाते हैं। फिर, पारिवारिक संस्कार और परिवार का दबाव भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। हम सबको यह समझना चाहिए कि सफलता केवल वह नहीं है जो हम सोचते हैं बल्कि सफलता वह भी है जो हमें परिश्रम करते हुए नेक पथ पर चलना सिखाती है।

● *हेम कुमार यादव, गोंडा*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com